न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 27/2022 दायर दिनाँक 21.01.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुखाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी खरवालिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 136 L.R.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 28.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा सं0 366 रकबा 0.5800 हैक्टे0 वाके सरहद खरवालिया, पटवार क्षैत्र खरवालिया, भू–अभि0 नि0 क्षैत्र तोषिणा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादी के उक्त खेत खसरा सं0 366 रकबा 0.5800 हैक्टे0 में से 0.0300 हैक्टे0 भूमि किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर दी जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है जबकि मार्क ए से बी किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर कभी नही था।

यह है कि राजस्व रेकर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से सहवन से रेकर्ड में मार्क ए से बी डोट–डोट कर गलत रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि भौतिक रूप से ऐसा कोई रास्ता मौके पर नही है तथा ना ही कभी राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। जिससे उक्त भूमि पर वादी को कृषी कार्य करने तथा अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा इससे भविष्य में परेशानी होने की आशंका है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार से है :–

यह है कि खसरा सं0 366 रकबा 0.5800 हैक्टे0 में से 0.0300 हैक्टे0 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर वादी की कृषी भूमि अंकित की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें तथा नक्शे में डोट–डोट लाईन जो मार्क ए से बी दर्शायी हुई को हटाये जाने का आदेश सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। बाद तस्दीक सामिल मिसल की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया गया, [illegible] वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम खरवालिया के खसरा सं0 366 रकबा 0.5800 हैक्टे0 में से 0.0300 हैक्टे0 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर वादी की कृषी भूमि अंकित कि जाती है व नक्शे में मार्क ए से बी दर्शायी हुई डोटेड लाईन को हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **28.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 27/2022 दायर दिनाँक 21.01.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुखाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी खरवालिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 28.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव वकील वादी की और से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम खरवालिया के खसरा सं0 366 रकबा 0.5800 हैक्टे0 में से 0.0300 हैक्टे0 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर वादी की कृषी भूमि अंकित कि जाती है व नक्शे में मार्क ए से बी दर्शायी हुई डोटेड लाईन को हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:48:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner